प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 08.08.2024

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/ निशानदेही से चोरी की 03 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 08.08.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान रेल विहार कट के पास से वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. धर्मेन्द्र उर्फ लाला पुत्र हरचन्द निवासी नगरिया मरहेला जट्टारी थाना जट्टारी अलीगढ हाल पता गली न0- 2 एफ 40 फेस-थर्ड शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली 2. विशाल कुमार पुत्र पूरन सिंह निवासी डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी बरामद हुई चोरी के वाहन बरामदगी के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों मिलकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से वाहन चोरी करते हैं तथा आसपास के क्षेत्रों में चोरी के वाहनों को बेचकर मुनाफा आपस में बाँट लेते है और अपने शौक पूरे करते है। हमसे जो मोटर साइकिलें व स्कूटी बरामद हुई है इनको हम दोनों ने चोरी कर छिपा कर रखा हुआ था। आज हम लोग इन वाहनों को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. धर्मेन्द्र उर्फ लाला पुत्र हरचन्द निवासी नगरिया मरहेला जट्टारी थाना जट्टारी अलीगढ हाल पता गली न0- 2 एफ 40 फेस-थर्ड शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष
2. विशाल कुमार पुत्र पूरन सिंह निवासी डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. मोटरसाइकिल सुजुकी रजि0 न0 DL5SCT7799 व इंजन नम्बर BGA31043742 सम्बन्धित e POLICE Station MV Theft (Crime Branch Delhi) FIR No. 036576
2. मोटरसाइकिल पैशन प्रो रजि0 न0 DL14SB1955 **सम्बन्धित** e POLICE Station MV Theft (Crime Branch Delhi) FIR No. 006488
3. स्कूटी होंडा एक्टिवा रजि0 न0 DL3SDB0943 सम्बन्धित e POLICE Station MV Theft (Crime Branch Delhi) FIR No. 018433
4. मोटरसाइकिल स्प्लैण्डर जिसके आगे पीछे अपूर्ण नम्बर प्लेट लगी है जिसका चैसिस नम्बर MBLHAR084HHD80664 व इंजन नम्बर HA10AGHHDE3027 लिखा है व रजिस्ट्रेशन नम्बर UP14DE2214 सम्बन्धित मु0अ0सं0- 341/24 थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

चोरी के वाहन बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा चोरी की 02 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी के संबंध में दिल्ली में 03 अभियोग पंजीकृत है, चोरी की 01 मोटरसाइकिल के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या-05

इनके अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा दोपहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से बिना नंबर प्लेट चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 08.08.2024 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर दो पहिया वाहन की चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त आकाश पुत्र रतनपाल निवासी ग्राम गून मोहिद्दीनपुर थाना परतापुर जिला मेरठ उम्र-25 वर्ष को महाराजपुर टी पॉइंट के सामने चौकी हल्का महाराजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जबकि उसका दूसरा साथी अनिल पुत्र पप्पू निवासी ग्राम गून मोहिद्दीनपुर थाना परतापुर जिला मेरठ मौके से फरार हो गया। कब्जे से बिना नंबर प्लेट चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: अभियुक्त आकाश पुत्र रतनपाल निवासी उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैने और मेरा साथी अनिल पुत्र पप्पू निवासी ग्राम गून मोहिद्दीनपुर थाना परतापुर जिला मेरठ जो मौके से फरार हो गया है। हम दोनों ने मिलकर यह मोटर साइकिल काफी समय पहले हरिद्वार से चोरी की थी। जिसे बेचने के लिये दिल्ली जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

अभियुक्त आकाश पुत्र रतनपाल निवासी ग्राम गून मोहिद्दीनपुर थाना परतापुर जिला मेरठ उम्र-25 वर्ष।

फरार अभियुक्त का नाम व पता:

अभियुक्त अनिल पुत्र पप्पू निवासी ग्राम गून मोहिद्दीनपुर थाना परतापुर जिला मेरठ।

बरामदगी का विवरण:

- बिना नंबर प्लेट चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:

अभियुक्त आकाश पुत्र रतनपाल निवासी उपरोक्त के विरुद्ध जनपद हरिद्वार में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस व जिला आपूर्ति विभाग टीम द्वारा अवैध रुप से LPG गैस रिफिलिंग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 41 गैस सिलेंडर (कॉमर्शियल, घरेलू बड़े/छोटे खाली व भरे हुए) व गैस रिफिलिंग उपकरण बरामद।

थाना वेव सिटी पुलिस व जिला आपूर्ति विभाग टीम द्वारा संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए दिनांक 07.08.2024 को अवैध रुप से LPG गैस रिफिलिंग की प्राप्त सूचना पर मौके पर जाकर चेकिंग की गयी जिसमें अभियुक्त विशाल गोयल पुत्र विनोद गोयल निवासी शक्तिनगर डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को दुकान में बडे सिलेण्डरों से काला बाजारी के उद्धेश्य से गैस की अवैध रिफिलिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा मौके

से 41 सिलेण्डर (कॉमर्शियल, घरेलू बडे/छोटे खाली तथा भरे हुए), 03 गैस रिफिलिंग उपकरण, तराजू व बाट बरामद हुए। अभियुक्त के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अवैध रुप से LPG के बड़े गैस सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग करता हूँ। जिसको अच्छे दामों में बेचकर मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

विशाल गोयल पुत्र विनोद गोयल निवासी शक्तिनगर डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र 39 वर्ष

बरामदगी का विवरण

41 गैस सिलेण्डर (कॉमर्शियल, घरेलू बडे/छोटे खाली तथा भरे हुए), 03 गैस रिफिलिंग उपकरण, एक तराजू व दो बाट (01 किलो व 02 किलो)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम